

क्रमांक विन-ए-सी (2)-1/2018
हिमाचल प्रदेश सरकार
शिक्षा (बाल) विभाग

2394
23-12-18

प्रेषक:

अभिहित मुख्य सचिव (विन),
शिक्षण प्रवेश शाखा।

प्राप्त:

1. समस्त अभिहित मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिलाब-171002
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक: शिलाब-171002 21-03-2018

विषय:

अनुसूक्त अनुदान बांटे वर्ष 2018-19 हेतु प्रथम और द्वितीय अभिमत एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों को शिक्षा विभाग की समझ पर देखने वाले।

उपरोक्त विषय पर मुझे जानकारी पाना बजट मैनुअल के अनुच्छेद-11 के पैरा 11.3 की ओर आकृष्ट करने का निर्देश हुआ है कि प्रथम अभिमत एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों पर वर्ष 2018-19 के पहले 8 महीनों के वार्षिक मूल्यांकन का प्रस्ताव जमा करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। इसी प्रकार दूसरी अभिमत एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों पर वर्ष 2018-19 के पहले 8 महीनों के वार्षिक मूल्यांकन का प्रस्ताव जमा करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। शिक्षा विभाग में 15 जनवरी तक प्रेषित करने अनिवार्य है क्योंकि दूसरी अभिमत एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों के आकार पर ही अनुसूक्त बांटे वित्त की जाती है। दोनों विद्यालयों में प्रेषित करने वाले आकृष्ट सार्वजनिक विभाग द्वारा अपने सम्बन्धित व्यय तथा व्ययों का सही अंकगणना करके ही शिक्षा विभाग को भेजे जाने चाहिए ताकि वार्षिक मूल्यांकन तथा व्ययों में बहुत अधिक अंतर न पड़े।

विद्यार्थी कुछ वर्षों में यह देखने में आ रहा है कि अधिकतर विद्यालय अपने सम्बन्धित व्ययों का सही अंकगणना किए बिना वार्षिक मूल्यांकन के आकार पर ही अभिमत एवं अल्पसंख्यक विद्यालय में वित्त का बांटे हेतु अनुसूक्त बांटे के अंतर्गत अल्पसंख्यक आस्था अल्पसंख्यक प्रस्ताव जमा किया जाता है। इस अनुरोधों के कारण प्रथम और द्वितीय विद्यालय सहित सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को लेख अप्रतिपत्तियों तथा सार्वजनिक लेख देना विद्यार्थी को अल्पसंख्यक का सामना करना पड़ता है। यही दूसरी ओर प्रथम प्रदेश की विद्यार्थी विद्यार्थी पर भी प्रतिबन्ध प्रभाव पड़ता है।

Dr. Shashi
Sharma

आज आकृष्ट अनुसूक्त है कि प्रथम अपने अंतर्गत सभी सम्बन्धित विद्यार्थियों को इस आकार के स्पष्ट निर्देश जारी करें कि बजट मैनुअल के पैरा 11.2 के ध्यान में रखते हुए अभिमत एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों को प्रथम करने से पूर्व अपने व्ययों व सम्बन्धित व्ययों का सही तरह से अंकगणना कर दिया जाए ताकि विद्यालयों में सम्बन्धित पर आधारित ही तथा उसमें आकृष्ट तथा व्ययों के अंकगणना करके ही सही अंकगणना करके ही प्रेषित किया गया है। बिना अभिमत के कोई भी बांटे नहीं करवाया जायेगा। द्वितीय अभिमत एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों के आकार पर अनुसूक्त अनुदान बांटे की अभिमत रूप देने के कारण अभिमत सचिव अल्पसंख्यक देखने पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इसके बाद यदि कोई

विभाग आगमन कर दिवस मानक में वकत की वकत दरों का पुनर्विनिर्धारण हेतु प्रस्ताव भेजना तो विभाग इस राशि का पुनर्विनिर्धारण न करने सीधा अपमान होने पर विचार होगा तथा इसे वित्तीय अनिर्णयता मानते हुए सम्बंधित विभागों को लिखित बजट मुद्रण पैरा 13.4 के अनुसार कार्रवाई करने की दिशानिर्देश की जाएगी जिसका साथ आरक्षित सम्बंधित विभाग का भी होगा।

आपने यह भी अनुरोध है कि इन निर्देशों का पालन के लिए कलर्स के अनुपालना सुनिश्चित करें तथा करीबन वर्ष की प्रथम वित्तीय वर्ष दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 और द्वितीय वित्तीय वर्ष (संयुक्त तथा वीर संयुक्त) 15 जनवरी, 2019 तक विशेष उद्देश्यवारक के माध्यम से प्रत्येक 'क' के अनुसार विभाग को भिजाने की कृपा करें।

भवदीय,

-इलाहा-

(विश्वी नाम)

संयुक्त अधिन (विश्वी कलर)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

शिक्षा निदेशालय (उपचार)

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001

पुनर्गणना संख्या ई.टी.एन-एनई (क) 3(सी) कलर 2018-19 दिनांक शिमला-1 शिमला, 2018.
प्रतिनिधि आगामी एवं अवलोकक कार्रवाई हेतु अधोचित है।

1. परिवर्तन निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अधिनियम, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001.
2. परिवर्तन निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001.
3. संयुक्त शिक्षा निदेशक (उपचार)/अवकाश एवं विद्यालय अधिसूची शिक्षा निदेशालय (उपचार) हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001.
4. कम्पटी-क, एन० सी० सी० ग्रुप हेड कार्करन, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171004.
5. सुभाष, शिक्षण प्रतिष्ठान महाविद्यालय, जलियाला, जिला कांगड़ा सी० 001.
6. प्राध्वर्य, एन० सी० सी० अम० टी०, सोलन, हिमाचल प्रदेश।
7. कमला प्राध्वर्य उच्चशिक्षण महाविद्यालय/संस्कृत महाविद्यालय, हिमाचल प्रदेश।
8. समस्ता एम निदेशक, (विश्वी शिक्षा), हिमाचल प्रदेश को इस अनुरोध के साथ अधोचित है कि यह अपनी व अपने जिला से सम्बंधित समस्त प्रश्नोत्तर/ मुख्यअवकाश राष्ट्रीय वीर माध्यमिक पाठशाळाओं एवं उच्च पाठशाळाओं से सम्बंधित सूचना संकलित करके केवल excel worksheet पर इस निदेशालय को प्रस्तुत करें।
9. मुख्य पुस्तकालय, केंद्रीय पुस्तकालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश।
10. पुस्तकालय, राज्य पुस्तकालय, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
11. प्राध्वर्य, सैकिल स्कूल, मुजुलपुर-दिलवा, जिला हरीद्वार, हिमाचल प्रदेश।
12. समस्ता, कम्पटी-क, एन० सी० सी० उच्चशिक्षण/ कम्पनी हिमाचल प्रदेश।

शिक्षा निदेशालय उपचार शिमला

28 SEP 2018

(उच्च उच्चशिक्षण सुधार समिति)
शिक्षा निदेशक (उपचार)
हिमाचल प्रदेश

